**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 373**

**13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**Hkou fuekZrkvksa dk iathdj.k**

373- Jh vfuy nslkbZ%

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj Hkou fuekZrkvksa }kjk Hkksys&Hkkys [kjhnkjksa ds Bxs tkus dh ?kVukvksa esa gks jgh o`f) dks ns[krs gq, Hkou fuekZrkvksa dk iathdj.k vfuok;Z djus ij fopkj dj jgh gS(

¼[k½ D;k ;g Hkh lp gS fd Hkfo"; esa fuekZ.k laca/kh xfrfof/k;ka 'kq: djus ds fy, mfpr ykblsal izkIr fd, fcuk fdlh Hkh O;fDr dks dksbZ Hkh ¶ySV@Hkw[kaM fdlh [kjhnkj dks nsus dh vuqefr ugha gksxh( vkSj

¼x½ D;k ljdkj nks"kh O;fDr;ksa ij Hkkjh tqekZuk yxkus vkSj mUgsa dkjkokl dh ltk ds lkFk&lkFk ikap o"kks± dh vof/k ds fy, dkyh lwph esa Mkyus dh O;oLFkk lqfuf'pr djsxh vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\

उत्तर

**आवासन और शहरी कार्य** राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

1. : भू-संपदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तक द्वारा अपनी भू-संपदा परियोजना को संबंधित राज्‍य के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत करवाना अपेक्षित है ।
2. : रेरा की धारा 3 में यह व्‍यवस्‍था है कि कोई भी प्रवर्तक, किसी भी भू-संपदा परियोजना अथवा उसके हिस्‍से में, किसी भी योजना क्षेत्र में संबंधित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में भू-संपदा परियोजना को पंजीकृत कराए बिना किसी प्‍लाट, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसी भी स्‍थिति हो, के लिए विज्ञापन, विपणन,बुक करना, बेचना अथवा किसी भी प्रकार की खरीद के लिए व्‍यक्‍तियों को आमंत्रित नहीं करेगा ।
3. : रेरा की धारा 63 में शास्‍ति का प्रावधान है, जो प्रवर्तक द्वारा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों अथवा निदशों का अनुपालन न करने अथवा उनका उल्‍लंघन करने की स्‍थिति में, भू-संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के पॉंच प्रतिशत तक समग्र रूप से बढ़ाया जा सकता है । इसी प्रकार, रेरा की धारा 64 में प्रवर्तक द्वारा भू-संपदा अपीलीय न्‍यायाधिकरण के आदेशों, निर्णयों अथवा निदेशों का अनुपालन न करने अथवा उनका उल्‍लंघन करने की स्‍थिति में, प्रवर्तक पर 3 साल की जेल अथवा जुर्माने के साथ, जिसे भू-संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत तक बढा़या जा सकता है, अथवा दोनों के साथ, सजा का प्रावधान है ।

---